न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

कार्यालय टिप्पणी

मु. नं. 13/2019 सुरेन्द्र कुमार बनाम हनुमान वगै.

31-1-2020 आज दिनांक 31-1-2020 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ... कार्य ... कार्यालय ... अवकाश ... पूर्वानुसार दिनांक ~~12/2/2020~~ 3-2-2020 को पेश हो।

3-2-2020 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादीगण के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 8 पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने के उपरान्त वादीगण के वाद को डिक्री किया जाना उचित समझते हो। वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नूरपुर पटवार मण्डल जमवारामगढ़ में स्थित वादीगण की पैतृक जोतदारी एवं काश्तकारी की भूमि खसरा नं. 56 रकबा 14 बिस्वा 74 रकबा 2 बीघा खसरा नं. 173 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा बिस्वा के किसी भाग या अंश पर जबरन घुसकर उस पर अतिक्रमण कर वादीगण को बेदखल करने के उद्देश्य से भूमि के चारों सीमाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करे और नहीं मौजूद सीमाचिन्हों को नष्ट करे। विस्तृत निर्णय अलग से किया जाकर शामिल मिसल हो। [illegible] नियमानुसार तैयार होकर [illegible] से काम हो।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़, जयपुर

डिकी मुकदमा इबताई
न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ जिला जयपुर
बइजलास श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.
वाद अन्तर्गत धारा 53, स्थाई निषेधाज्ञा आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
नम्बर 13/2019	18.3.2019	3.2.2020

उनवान

1. श्री सुरेन्द्र कुमार
2. श्री जोगेन्द्र कुमार
3. श्री विक्रम कुमार

पुत्रान स्व0 श्री नाथूलाल व्यास, जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नुरपुर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट नम्बर 47, गली नम्बर 5 कृष्णा कॉलोनी , नया खेडा तहसील व जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. श्री हनुमान
2. श्री भैरव
3. श्री मुरली
4 श्री गोपाल
5 श्री रूपनारायण

समस्त जाति गुजरान निवासी ग्राम नुरपूर तहसील जमवारामगढ

7 श्री भोमाराम श्री सुगलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम नूरपुर तहसील

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

श्री संदीप शर्मा एडवोकेट :– वकील वादीगण्ड

पैरोकार सरकार :– प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
जमवारामगढ़, जयपुर

Scanned with CamScanner

डिकी दिनांक 3.2.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री विश्वामित्र मीना आर. ए.एस. व हाजिरी श्री सन्दीप शर्मा एडवोकेट मिनजातिब पेरोकार सरकार मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि अतः वादीगण डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि ग्राम नूरपुर पटवार मण्डल जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ मे स्थित वादीगण की पैतृक खातेदारी एवं काश्तकार की भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 75 रकबा 0.50 हैक्टेयर एवं 187 रकबा 0.65 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.33 हैक्टेयर के किसी भू भाग या अंश पर जबरन गुसकर उस पर अतिकमण कर वादीगणो को बेदखल करने के उददेश्य से भूमि के चारो सीमाओ मे कोई हस्तक्षेप नहीं करे और ना ही मौजूदा सीमा चिन्हो को नष्ट करे।

मिलान स्टाप अजी दावा

मुदई	रूपये	पैस
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

मिलान स्टाप अजी दावा

मुदई	रूपये	पैस
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

सहायक कलक्टर
जमवारामगढ(जयपुर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ

जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर 13/2019 दायर दिनांक 8.3.2019

1. श्री सुरेन्द्र कुमार
2. श्री जोगेन्द्र कुमार
3. श्री विक्रम कुमार

पुत्रान स्व0 श्री नाथूलाल व्यास, जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नुरपुर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट नम्बर 47, गली नम्बर 5 कृष्णा कॉलोनी , नया खेडा तहसील व जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. श्री हनुमान
2. श्री भैरव
3. श्री मुरली

4 श्री गोपाल

5 श्री रूपनारायण

समस्त जाति गुजरान निवासी ग्राम नुरपूर तहसील जमवारामगढ

7 श्री भोमाराम श्री सुगलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम नूरपुर तहसील जमवारामगढ

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

श्री संदीप शर्मा एडवोकेट :— वकील वादीगण

पैरोकार सरकार :— प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with CamScanner

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 3.2.2

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगणो ने जरिये अधिवक्ता संदीप शर्मा एडवोकेट ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नु पटवार मण्डल जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ मे स्थित भूमि साबि खसरा नम्बर 46 रकबा 14 बिस्वा 74 रकबा 2 बीघा एवं 173 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीगण्ड की पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादीगण पीढी दर पीढी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । भू प्रबंधन के दौरान वादीगण की पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित भूमि का क्षेत्रफल मैट्रिक प्रणाली मे परिवर्तित करते हुये नवीन खसरा नम्बर 46 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 75 रकबा 0.50 हैक्टेयर एवं 187 रकबा 0.65 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.33 हैक्टेयर कायम कर उनकी खातेदारी पूर्वानुसार वादीगण के नाम अंकित है । उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है । किन्तु ये उक्त ग्राम के स्थानीय निवासी एवं पडौसी काश्तकार है जो वादीगण की भूमि की बाहरी सीमाओ मे हस्तक्षेप करते हुये उक्त विवादित भूमि को अपनी भमि में शामिल करने के कुत्सित उद्देश्य से बदनियतिपूर्वक उसकी डोल आदि को नुकासान पहुचाकर तोडकर उस पर अतिक्रमण करना चाहते है। वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि व ग्राम नूरपूर पटवार मण्डल जयचन्दपुरा मे स्थित वादीगण की उक्त पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से जबरन धुसकर उस पर अतिक्रमण कर वादीगण को बेदखल करने के उद्देश्य से भूमि की चारो सीमाओ में कोई हस्तक्षेप नहीं करे

प्रतिवादीगणो को जरिये रजि. नोटिस जारी कर तलब किया । प्रतिवादीगण बावजूद रजि. नोटिस सूचना के उपस्थित नहीं आये । अतः प्रतिवादीगणो के विरूध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है ।

सहायक कलक्टर
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with CamScanner

हमने वादीगण के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 8 पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली में मौजूद राजस्व रिकार्ड का गहनता से अध्ययन किये जाने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादीगण भूमि वादग्रस्त के रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है जिसने अपनी खातेदारी की भूमि की सुरक्षित रखने एवं प्रतिवादीगण द्वारा की जा रही अवैध कार्यवाही को रूकवाने एवं उन्हें पाबंध करवाने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो न्यायोचित है। अतः वादीगण के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनने एवं पत्रावली मे मौजूद दस्तावेजी शपथ पत्र का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन करने के उपरान्त वादीगण के वाद को डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः वादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि ग्राम नूरपुर पटवार मण्डल जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ मे स्थित वादीगण की पैतृक खातेदारी एवं काश्तकार की भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 75 रकबा 0.50 हैक्टेयर एवं 187 रकबा 0.65 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.33 हैक्टेयर के किसी भू भाग या अंश पर जबरन गुसकर उस पर अतिक्रमण कर वादीगणो को बेदखल करने के उददेश्य से भूमि के चारो सीमाओ मे कोई हस्तक्षेप नहीं करे और ना ही मौजूदा सीमा चिन्हो को नष्ट करे। इस आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो । आदेश की पालना हेतु संबंधित पुलिस थानाधिकारी व तहसीलदार जमवारामगढ को लिखा जावें । पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों ।

सहायक कलक्टर
जमवारामगढ(जयपुर)

Scanned with CamScanner